



2026:AHC: 180329

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5283 वर्ष 2026

विजय दुबे उर्फ बबलू

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विशेष कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : धवल श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता, संतोष कुमार

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशेष कुमार का अभिवेदन है कि उन्होंने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया है जिसका उल्लेख पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में किया गया है।

2. पुनरीक्षण में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस पुनरीक्षण को स्वीकार करे और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मिर्जापुर द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत वाद संख्या 571 वर्ष 2018 (हेमा दुबे बनाम विजय दुबे) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2026 को रद्द करे।"

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत पारित एकपक्षीय अंतिम आदेश दिनांक 07.07.2026 के विरुद्ध, वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एकपक्षीय भरण-पोषण आदेश दिनांक 07.07.2026 पुनरीक्षणकर्ता के ज्ञान में नहीं था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त आदेश को अपास्त किया जाए और मामले को पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नया आदेश पारित करने के लिए संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए।

5. इसके विपरीत, न्यायालय की सहायता करने वाले विद्वान ए.जी.ए. श्री शशिधर पांडे ने प्रस्तुत किया कि एकपक्षीय आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए द.प्र.सं. की धारा 126(2) / बी.एन.एस.एस. की धारा 145(2) के अंतर्गत एक प्रावधान है और इसका लाभ विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है, इसलिए, पुनरीक्षण पोषणीयता के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। तत्काल संदर्भ के लिए द.प्र.सं. की धारा 126 नीचे वर्णित की जा रही है:-

"126. प्रक्रिया।

(1) धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाहियां किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी जिले में की जा सकती हैं-

(क) जहां वह है, या

(ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, या

(ग) जहां उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ, या यथास्थिति, अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया था।

(2) ऐसी कार्यवाहियों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के भुगतान का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिए जाएंगे, और समन-वादों के लिए विहित तरीके से दर्ज किए जाएंगे:

परंतु यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के भुगतान का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है, या न्यायालय में उपस्थित होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट एकपक्षीय रूप से वाद की सुनवाई और निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और इस प्रकार दिया गया कोई भी आदेश, उसकी तिथि से तीन माह के भीतर दिए गए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदन पर दिखाए गए अच्छे कारण के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन अपास्त किया जा सकता है जिसमें विपक्षी को खर्च के भुगतान की शर्तें शामिल हैं जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित और उपयुक्त समझे।

(3) धारा 125 के अंतर्गत आवेदनों से निपटने में न्यायालय को खर्च के संबंध में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो न्यायोचित हो।"

6. विद्वान ए.जी.ए. आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह पहलू इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से दोषपूर्ण आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 141 वर्ष 2026 (अनूप कुमार बनाम श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा और अन्य) में पहले ही निर्णीत किया जा चुका है और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 01.04.2026 के माध्यम से आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2099 वर्ष 2026 (अभिषेक गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में यह टिप्पणी किया कि द.प्र.सं. की धारा 126(2) के अनुसार, द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत एक आवेदन में पारित एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध, पुनरीक्षणकर्ता को उपलब्ध उपचार संबंधित परिवार न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 126(2) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करना है।

7. तदनुसार, पोषणीयता के आधार पर इस स्तर पर पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए द.प्र.सं. की धारा 126(2) / बी.एन.एस.एस. की धारा 145(2) के अंतर्गत एक वैकल्पिक, प्रभावकारी उपचार उपलब्ध है और पुनरीक्षणकर्ता, यदि ऐसा परामर्श दिया जाता है, तो उक्त उपचार का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

31 अगस्त, 2026

के. तिवारी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”